


न्यास की ग्राम कंसुआ योजना में खसरा नं. 103 में ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु भूखण्ड संख्या 1 प्राप्त करने का

सुनहरा आवसर

नीलामी दिनांक 29.07.2016	बोली का समय 12:00 से 2:00 बजे तक	स्थान न्यास नीलामी हॉल	प्रारम्भिक बोली दर 10800/- प्रति वर्ग मी.	क्षेत्रफल (लगभग) (Area 4996.50 वर्ग मी.)
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	---



तकनीकी मानदण्ड (वर्तमान में लागू भवन विनियम-2013 (सशोधित) के अनुसार)

सेट बैक :-	ग्रुप हाउसिंग ख.सं. 103, कंसुआ
फुन्ट :-	15.00 मीटर
बेक :-	9.00 मीटर
साईड-1 :-	9.00 मीटर
साईड-2 :-	9.00 मीटर
अधिकतम उंचाई :-	भवन विनियम के बिन्दु सं. 8.11 के अनुसार
एफ.ए.आर. :-	1.33 मानक एवं अधिकतम FAR 2.25
राज्य सरकार की स्वीकृति से देय अतिरिक्त FAR= 1.0	
आच्छादित क्षेत्र :-	35 प्रतिशत
अन्य मानदण्ड :-	1. भवन विनियम 2013 (सशोधित) के अनुसार 2. मुख्य मंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों की पालना की जानी होगी।


अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

Website:- WWW.UITKOTA.ORG FAX :-0744-2500828

नीलामी की मुख्य शर्तें :-

- बोलीदाता स्वयं उपस्थित होगा। अमानत राशि रु. 15,00 लाख डी.डी./पे आर्डर सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दिनांक 11:00 मध्याह्न 12:00 बजे तक जमा होगी। बोली का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र मय फोटो बोलीदाता का पैनकार्ड की प्रति एवं परिचय पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रपत्र भरकर नीलामी हॉल में धरोहर राशि के अतिरिक्त 500/- रजिस्ट्रेशन राशि उसी दिन कार्यालय समय दोपहर 11:00 बजे से 12:00 बजे तक जमा करवाकर टोकन प्राप्त करना होगा। बोलीदाता नीलामी हॉल में 12:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित हों अन्यथा आपको अनुपस्थित मान कर आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन राशि 500/- रु. वापस देय नहीं होगी। बोलीदाता को पैनकार्ड की प्रति एवं स्वयं का पहचान पत्र नीलामी फार्म के साथ सलग्न करनी होगी तथा मोबाईल नम्बर देना होगा। मोबाईल का उपयोग बन्द रहेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि नीलामी के उपरान्त पत्र में नाम परिवर्तन हेतु निवेदन किया जाता है, जो संभव नहीं होता है। अतः नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म की पूर्ति पूर्ण रूप से सोच-समझ कर करे। इसके बाद में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- एकल बोली स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
- किसी संस्था/कम्पनी फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत-पत्र पेश करेगा जो नोटरी द्वारा सत्यापित होगा। संस्था/कम्पनी फर्म के विधान की सत्यापित प्रति पेश करनी होगी।
- कम्पनी/संस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्ति पदाधिकारी/कार्मिक ही होगा। किन्तु दो से अधिक व्यक्ति कम्पनी नहीं भेज सकेगी। पहला व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति हो सकता है।
- प्रथम बोली रु 10800/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक होगी तथा प्रत्येक बोली रु. 50/- प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।
- सफल बोली दाताओं को कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा।
- बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर विकास न्यास, कोटा में सुरक्षित रहेगा तथा स्वीकृति के पश्चात निर्धारित समय में शेष राशि जमा करवानी होगी।
- भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व नगर विकास न्यास, कोटा से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करवाना होगा।
- भूखण्ड 99 वर्षीय पट्टेदारी पर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय नृमि निस्तारण) नियम 1974 के अनुसार नीलाम किया जावेगा, जिसकी तीज राशि आरक्षित दर पर अलग से नियमानुसार जमा करवानी होगी।
- भूखण्ड जहाँ है, जिस अवस्था में है, के आधार पर नीलाम किया जावेगा।
- आरक्षित दर 7151 /- प्रति वर्ग मीटर है।
- अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती है।



The Photograph is indicative only.